



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जोन उत्तर)
राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/ADA/2023-24/101084

दिनांक: 05/04/2024

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP PARTNER VISHAL SINGH** पुत्र श्री **S/O PRABHU SINGH** जाति **RAJPUT** निवासी **JAIPUR ROAD OM TOYOTA SHOWROOM KE OPPOSITE SIDE LADPURA PULIYA GHOOGHRA AJMER**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1564	3000	0.3
2.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1565	17500	1.75
3.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1566/2813	2500	0.25
4.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1566/3097	500	0.05
5.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1572/2812	500	0.05
6.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1573	800	0.08
7.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1565/2810	3400	0.34
8.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1566	10350	1.035
9.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1560	3800	0.38
10.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1561	3000	0.3
11.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1561/2811	1000	0.1
12.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	1562/2425	2000	0.2

13.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP	3236/1566	3450	0.345
				कुल	5.18

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जगाबंदी की प्रति, राजरव खरारा अनुरेख, राग्यक् रूप रो अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की राहगति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्यगनाधीन रखा गया समझा जावेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **05-04-2024** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



Signature valid

Digitally Signed by **Surya Kant Sharma**
Designation: **DC/ AO**
Date: **2024.04.05 20:45:48 IST**
Reason: **Approved**
Location: **Rajasthan, IN**

क्रमांक: अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/M 176/5799

दिनांक: 18-09-2024

डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी.

जरिये विशाल सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह

निवासी- जयपुर रोड, ओम टोयोटा शारूम

के सामने, लाडपुरा पुलिया, घुघरा, अजमेर।

विषय:- राजस्व ग्राम गगवाना के खसरा संख्या 1560, 1561, 1561/2811, 1562/2425, 1564, 1565, 1565/2810, 1566, 1566/2813, 1566/3097, 3236/1566, 1572/2812, 1573 रकबा 51800.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम गगवाना के खसरा संख्या 1560, 1561, 1561/2811, 1562/2425, 1564, 1565, 1565/2810, 1566, 1566/2813, 1566/3097, 3236/1566, 1572/2812, 1573 रकबा 51800.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2024वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले-आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 30 मी. रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क मध्य से 15 मी. दूरी तक आ रही आवेदक की भूमि क्षेत्रफल 1188.61 वर्गमी. भूमि आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की गयी है। उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में कोई निर्माण नहीं होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
3. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमाकेशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जायें।
4. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चित आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. आवेदित भूमि में से यदि किसी भी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
7. आवेदित भूमि के योजना का क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वीकृत योजना मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी, जिसकी पालना सुनिश्चित की जायें।
8. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

9. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डों के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 10. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टों के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यालय में प्रेषित की जानी होगी।
 11. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 13. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।
- स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना

अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/5800-5801 दिनांक : 18-09-2024
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त (उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (मय अनुमोदित मानचित्र)।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले-आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।



Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur
2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Website : <http://rera.rajasthan.gov.in>
Phone No.: 0141-2851900



REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: **RAJ/P/2024/3270**
2. Details of Project: **DELIGHT PARK , at Plot/Khasra No.1564, 1565, 1566/2813, 1566/3097, 1572/2812, 1573, 1565/2810, 1566, 1560, 1561, 1561/2811, 1562/2425, 3236/1566 , Village- Gagwana , , Ajmer - 305023 (Rajasthan)**
3. Details of promoter:Name of the firm/society/company/competent authority **DELIGHT INFRAHEIGHTS LLP**having its office address at **O/O, JAIPUR ROAD , OM TOYOTA SHOWROOM KE OPPOSITE SIDE, LADPURA PULIYA, , Ajmer , Ajmer (Rajasthan) - 305023**
4. This registration is granted subject to the following conditons,namely:-
 - i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
 - ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority,as the case may be,as per Section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
 - iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a shedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
 - iv. The registration shall valid upto **10-09-2027**(Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 of the Real Estate(Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;

- v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;
 - vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.
 6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman,Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)




Signature valid

Digitally signed by Richnpal Singh
Kulhari
Designation : Registrar
Date: 2024.09.20 18:10:39 IST
Reason: Approved

Signature valid

Digitally signed by Richnpal Singh
Kulhari
Designation : Registrar
Date: 2024.09.20 18:10:39 IST
Reason: Approved



AJMER

ZONAL DEVELOPMENT PLAN 2033

ZONE-3 : PHOOLSAGAR ZONE

LANDUSE PLAN 2033

LEGENDS

BOUNDARIES

- 220 KV HT LINE
- 400 KV HT LINE
- 132 KV HT LINE
- RAILWAY LINE
- ROADWAY
- TO SIKAR
- TO AJMER JUNCTION
- TO ROADWAYS BUS STAND
- TO AJMER CITY
- TO NARELI PULIYA

LAND USE ZONES

- Residential (R)
- Commercial (C)
- Industrial (I)
- Public Use (PU)
- Green Space (G)
- Water Body (W)
- Forest (F)
- Open Space (OS)
- Other (O)

UTILITIES

- Water Supply
- Sewerage
- Gas
- Electricity

SCALE

1:10,000

APPROVED FOR ZONE AUTHORITY MEETING DATED 28.12.2021

A J M E R